


न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का डारुणा बनाम अनाधिकृत बाबू जाट
प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- RA/39/22

निर्णय दिनांक :- 15/6/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम अनाता
की आ.ख.न. 125 कुल रकबा 0.68 किस्म जमीन गण्डु में से 0.02
रकबे पर श्री अनाधिकृत बाबू जाट पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर
कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का डारुणा द्वारा दिनांक 6/5/22
को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय टाईद
भू.अ.निरी. दारादा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया
जाकर अतिक्रमी अनाधिकृत बाबू जाट जाति जाट निवासी अनाता को भू.
राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील
कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी
उपरिस्थित ^{जधि} आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।
उक्त रकबवा आ.ख.न. 125 रकबा 0-68 में से 0.02
रकबे किस्म गण्डु पौखर है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा वैरसायक को अतिक्रमित
रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 37 Paise का
50 गुणा 19/- रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा
जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी दारादा भू.अ.निरी.
दारादा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में
सुनाया गया।


तहसीलदार (अलवर)
कठूमर, अलवर (राज.)